निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–20/2021
दायरा दिनांक :– 22.03.2021
निर्णय दिनांक :– 23.12.22

उनवान

1. अमरलाल पुत्र छीतरलाल जाति धाकड निवासीगण बामला तहसील बारां जिला बारां राज0
2. जगन्नाथी पत्नी छीतरलाल जाति धाकड निवासीगण बामला तहसील बारां जिला बारां
3. मनीषा पुत्री छीतरलाल पत्नी कालूलाल जाति धाकड निवासीगण गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सूरजमल पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड निवासीगण बामला तहसील बारां जिला बारां राज0
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां

–अप्रार्थीगण

प्रर्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 23.12.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता एड0– वादी
2. श्री महेश गौतम एड0– प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बामला पटवार हल्का बामला तहसील बारां की आराजी खाता सं0 नया 542 पुरना 505 सम्वत् 2072–75 की खसरा नं0 24 रकबा 04.05 हे0, खसरा नं0 242 रकबा 0.30 हे0 खसरा नं0 243/1608 रकबा 0.25 हे0,खसरा नं0 243/1609 रकबा 0.40 हे0,खसरा नं0 274 रकबा 0.07 हे0,खसरा नं0 344 रकबा 0.32 हे0, कुल किता 6 कुल रकबा 5.39 हे0 स्थित है जो विवादित आराजियात है। उक्त आराजी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सूरजमल पुत्र जगन्नाथ के खातेदारी में दर्ज है। जबकि सेटलमेन्ट सम्वत् 2015–24 में खाता सं0 48 जगन्नाथ वल्द धांसी जाति धाकड साकिन देह के नाम खसरा नं0 30 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 648 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा,खसरा नं0 709 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा,खसरा नं0 733 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 32 बिघा 18 बिस्वा खाते में दर्ज थी। जिसके ऑल सेटलमेन्ट सम्वत् 2038–57 में साबिक खसरा नं0 30 रकबा 24 बीघा 12

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

बिस्वा का हाल खसरा नं0 24 रकबा 04.05 हे0, साबिक खसरा नं0 648 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, का हाल खसरा नं0 344 रकबा 0.32 हे0, साबिक खसरा नं0 709 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, का हाल खसरा नं0 242 रकबा 0.30 हे0,खसरा नं0 243/1609 रकबा 0.40 हे0,खसरा नं0 274 रकबा 0.07 हे0,खसरा नं0 733 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, का हालखसरा नं0 243/1608 रकबा 0.25 हे0,कुल किता 6 कुल रकबा 5.39 हे0 दर्ज किया गया है। जो प्रथम सेटलमेन्ट सम्मत 2015 के दौरान सम्वत् 2016–19 में साबिक खसरा नं0 30, 648, 709, 733 कुल 4 किता कुल रकबा 32 बीघा 18 बिस्वा जगन्नाथ पुत्र धांसी जाति धाकड के नाम दर्ज थी जो जगन्नाथ के देहान्त के बाद सम्वत् 2028–31 में छीतरलाल, सूरजमल, मुतबन्ना जगन्नाथ मुस0 बिरधीबाई बेवा जगन्नाथ कोम धाकड के नाम संयुक्त रूप से ग्राम बामला की कुल आराजी खसरा नं0 30, 648, 709, 733 रकबा 32 बीघा 18 बिस्वा संयुक्त रूप से तीनों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी इससे पूर्व सम्वत् 2024–27 में छीतरलाल, सूरजमल, मुतबन्ना जगन्नाथ मुस0 बिरधीबाई बेवा जगन्नाथ कोम धाकड ग्राम बामलाइतंकाल नं0 116 से हिस्सा बांट बराबर दर्ज है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2032–35 तैयार करते समय ग्राम बामला की आराजी खसरा नं0 30 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 648 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा,खसरा नं0 709 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा,खसरा नं0 733 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 32 बिघा 18 बिस्वा अकेले अप्रार्थी कम 1 सूरजमल वल्द जगन्नाथ के नाम दर्ज कर दी गई जो किसी भी प्रकार से राजस्व कर्मचारियों को रिकार्ड बदलने का अधिकार नहीं था मृतक जगन्नाथ जी के दो पत्नीयां थी। जिसमें उनके कोई औलाद नहीं होने से एक पत्नी मानाबाई व दूसरी पत्नी बिरधीबाई थी। मानाबाई ने अप्रार्थि कम 1 सूरजमल को गोद रखा था तथा दूसरी पत्नी बिरधीबाई ने छीतरलाल को गोद रखा था मानाबाई का देहान्त जगन्नाथ से पूर्व हो चुका था इस कारण उनके फोती नामान्तरण में सूरजमल, छीतरलाल व दूसरी पत्नी बिरधीबाई के नाम बांट बराबर हिस्से में आया मृतक बिरधीबाई द्वारा प्रार्थीगण के पिता व पति छीतर लाल को गोद लिया गया था। इस प्रकार बिरधीबाई का हिस्सा छीतरलाल को प्राप्त होना चाहिए था इस प्रकार छीतरलाल का हिस्सा 2/3 व सूरजमल का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए था किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2032–35 में मृतक छीतरलाल व बिरधीबाई का नाम हटाकर अकेला अप्रार्थी कम 1 सूरजमल का नाम दर्ज कर दिया गया है। जो किसी भी प्रकार से राजस्व कर्मचारियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस प्रकार प्रार्थीगण मृतक छीतरलाल के वैधानिक वारिसान एवं कायम मुकामान है जो उनका 2/3 हिस्सा प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने एवं बंटवारा कराकर पृथक से खाता दर्ज करवाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी एवं नालिशी है।

जगन्नाथ के देहान्त के बाद से ही प्रार्थीगण के पिता व पति तथा अप्रार्थी कम 1 अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त रहे है। प्रार्थीगण के पिता व पति के देहान्त के बाद उनके हिस्से पर आज दिन तक काबिज काश्त चले आ रहे है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से अप्रार्थी कम 1 के नाम संपूर्ण खाता दर्ज होने के कारण उन्हें अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजियात पर भू सुधार करने, ऋण प्राप्त करने व अन्य किसी प्रकार की सहायता प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

करने से वंचित होना पडता है। इस कारण प्रार्थीगण अपने 2/3 हिस्से पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने व बंटवारा कराकर खाता पृथक करवाकर पृथक से लगान निर्धारित करवाने एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत् 2072–75 खाता सं0 542,नकल जमाबन्दीग्राम बामला सम्वत् 2016–19 खाता सं0 70, नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत् 2030–33, नकल जमाबन्दीग्राम बामला सम्वत् 2024–27,नकल खतौनी बन्दौबस्त सम्वत् 2012–24,नकल खतौनी बन्दौबस्त सम्वत् 2028–31,नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत् 2032–35 खाता सं0 75, नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2038–57, पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.08.73, नकल नामा0 सं0 192 दिनांक 10.12.73 ग्राम बामला, नकल नामा0 सं0 187 दिनांक 04.07.73 नकल नामा0 सं0 116 दिनांक 27.07.66 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी/प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि मृतक जगन्नाथ की दो पत्नीयां थी उनके कोई औलाद नहीं थी। पहली पत्नी मानाबाई ने अप्रार्थी कम 1 सूरजमल को गोद रखा तथा दूसरी पत्नी बिरधीबाई ने छीतरलाल को गोद रखा था। मूल खातेदार जगन्नाथ था। भूमि अकेले सूरजमल के खाते आ गई। छीतरलाल उसमें पक्षकार नहीं था। बिरधीबाई की मृत्यु 1981 में हो गई थी। बिरधीबाई 1/2 हिस्सा ही तो बेचेगी। मानाबाई के हिस्से का क्या हुआ। सम्वत् 2019 में छीतरलाल का नाम था। जब तक मूल वाद का निर्णय होता है। तब तक स्थगन आदेश किया जावे। जगन्नाथ की दोनों पत्नियों ने अलग–अलग गोद रखा सूरजमल व छीतरलाल को गोद रखा। दोनों को 1/2,1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। परन्तु गलती से अकेले सूरजमल के खाते दर्ज कर दी गई है। दोराने वाद किसी प्रकार का विवाद न हो इसलिए स्थगन दिया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी विवादित नहीं है। अकेले सूरजमल के खाते कब्जे काश्त की भूमि है वर्तमान रकबा 5.39 हे0 पर बतौर मालिक खातेदार सूरजमल काबजि काश्त है। रजिस्टर्ड बपनामा दिनांक 29.08.73 में बिरधीबाई से कय की है जो नामा0 सं0 192 से अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज की गई है। तभी से खातेदार कृषक है। नामा0 सं0 116 ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया है। यह नामा0 सं0 116 छीतरलाल के प्रा0 पत्र पर ही खोला गया है। दिनांक 27.07.1966 को खोला गया नामा. पर सरपंच माधोलाल के हस्ताक्षर है। नामा0 सं0 116 की अपील बिरधीबाई द्वारा एडिशनल कलेक्टर कोटा के यहां की गई। नामा0 सं0 116 निरस्त किया गया तथा जगन्नाथ के सम्पूर्ण खाते पर अकेले बिरधीबाई बेवा जगन्नाथ के नाम नामा0 सं0 187 दिनांक 16.07.1973 खोला जाकर दर्ज किया गया। न्यायालय द्वारा दोनों को ही गोद पुत्र नहीं

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

मानकर निर्णय पारित किया। छीतरलाल ने आज तक उक्त फैसलों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। बिरधीबाई ने अपनी मृत्यु तक अप्रार्थी सूरजमल को अपने गोद पुत्र के रूप में माना गया था। बिरधीबाई ने अप्रार्थी सूरजमल को दिनांक 29.08.1973 को विकय की उसमें सूरजमल मुतबन्ना जगन्नाथ दर्ज करवा दिया। रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.08.1973 व इन्तकाल नं0 187 दिनांक 16.07.1973 निरस्त कराये बिना प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत् 2072–75 खाता सं0 542, सूरजमल पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत् 2016–19 में जगन्नाथ पुत्र धांसी का नाम दज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत् 2030–33 में जगन्नाथ पुत्र धांसी दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत् 2024–27 में छीतरलाल, सूरजमल मुतबन्ना जगन्नाथ, बिरधीबाई बेवा जगन्नाथ कोम धाकड दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत् 2028–31 एवं सम्वत् 2032–35 में छीतरलाल, सूरजमल मुतबन्ना जगन्नाथ, बिरधीबाई बेवा जगन्नाथ दर्ज रिकार्ड है। नकल नामा0 सं0 192 ग्राम बामला दिनांक 10.12.1973 के अनुसार बिरधीबाई द्वारा अपने हिस्से की आराजी सूरजमल मुतबन्ना जगन्नाथ को 600/– में जर्ये रजिस्टर्ड बेचान किया गया। जिसका नामा0 खोला जाकर सरपंच बामला द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त दस्तावेजों से यह साबित होता है। कि विवादित आराजी अप्रार्थी कम 1 सूरजमल के खातेदारी की है। बिरधीबाई द्वारा सूरजमल को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचान किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर0 टी0 एक्ट सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner